न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–03/2018 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. नूर खां पुत्र चावसिंह जाति मेव,
2. चांदू पुत्र चावसिंह जाति मेव निवासी ग्राम बेराबास तहसील रामगढ़ जिला अलवर ।

..... वादीगण/अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, अलवर ।
2. लैण्ड होल्डर (भू0अ0) रामगढ़ जिला अलवर ।

..... प्रतिवादीगण/ रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री संजीव जैन, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–24.08.2018

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2010 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी साबिक ख. नं. 104 रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा जिसका हाल ख0 नं0 182 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम बेराबास तहसील रामगढ़ कायमं हुए है जो आराजी विवादित है । विवादित आराजी पर वादीगण के दादा हीरा का कब्जा काश्त अरसे दराज से चला आ रहा था । जमाबन्दी सम्वत् 1998 में भी इस आराजी पर हीरा की काश्त दर्ज है और हीरा की विरासत से विवादित आराजी हम वादीगण को मिली है और इस प्रकार विवादित आराजी पर हम वादीगण का अरसा करीब 50–60 साल से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है और वक्त जारी होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से पूर्व भी इस आराजी पर वादीगण का ही कब्जा काश्त था । इसलिए कानून वादीगण को विवादित आराजी पर हकूक खातेदारी प्राप्त हो चुके हैं । बसूरत दीगर विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त 50–60 साल पुराना है जिसे 30 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है । इसलिए वादीगण का कब्जा ऐडवर्स पजेशन की तारीफ में आता है । विवादित आराजी की बाबत वादीगण को कई बार नोटिस दफा 91

24/8/18

एल.आर.एक्ट दिये गये हैं एवं वादीगण ने कई बार पैनल्टी जमा करायी है जिससे भी इस आराजी पर वादीगण का पुराना कब्जा काश्त होना प्रमाणित है । आज भी मौके पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है । विवादित आराजी काबिल काश्त भूमि है लेकिन कागजात माल में इस आराजी की किस्म सिवायचक लगानी दर्ज है जो गलत है और खिलाफ मौका है जिस इन्द्राज को वादीगण कलमजन कराकर उसके बजाय वादीगण अपने आपको इस आराजी का खातेदार काश्तकार दर्ज कराने का अधिकारी है । कागजात माल के आधार पर प्रतिवादीगण विवादित आराजी से हम वादीगण को जबरन बेदखल करने की फिराक में है जैसाकि पटवारी हल्का ने जाहिर किया है । इसलिए वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब कियां जिसमें पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया । विद्वान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर दिनांक 12.03.2010 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2010 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगंण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस व मौखिक बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का लिखित बहस में कथन है कि विवादित आराजी पर वादीगण के दादा हीरा का कब्ज़ा काश्त अरसे दराज से चला आ रहा था । जमाबन्दी सम्वत् 1998 में भी इस आराजी पर हीरा की काश्त दर्ज है और हीरा पुत्र अली खां मेव की विरासत से विवादित आराजी वादीगण/अपीलांट को मिली है । इस प्रकार विवादित आराजी पर हम वादीगण का अरसा करीब 50–60 साल से लगातार कब्जा चला आ रहा है और वक्त जारी होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से पूर्व भी इस आराजी पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है । 30 साल से अधिक का समय हो चुका है इसलिए विवादित आराजी में वादीगण अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है । अपीलांट ने अपने वादपत्र के समर्थन में बयान कराये तथा मौखिक साक्ष्य में कल्लू व नूर मोहम्मद के बयान दर्ज कराये जिन साक्षियों के बयानों से वादी का वाद पूर्णतः साबित था । अपीलांट ने अपने वादपत्र के समर्थन में रसीद, जमाबन्दी सम्वत् 2052, 1998, 2014 तथा नोटिस धारा 91 की प्रतिलिपियां पेश की । जिन दस्तावेजों से भी वादी का वाद साबित था । वर्णित विवादित आराजी अपीलांट के दादा हीरा पुत्र अली खां मेव के कब्जे काश्त में चली आ रही थी तथा उनके फुट स्टेप में ही अपीलांट विवादित आराजी पर आज तक नियमित व बदस्तूर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा हीरा के नाम की प्रविष्ठि का अंकन सम्वत् 2020 से पूर्व की जमाबन्दी सम्वत् 1998 व 2014 में भी है । विवादित आराजी पर अपीलांट का राजस्थान काश्तकारी अंधिनियम लागू होने के पूर्व से ही नियमित बदस्तूर कब्जा काश्त चला आ रहा है जो तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित था जिसके आधार पर भी अपीलांट अपने आपको मुखालफाना कब्जे के आधार पर भी खातेदार कांश्तकार घोषित कराने के अधिकारी हैं ।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में गलत तौर पर यह निष्कर्ष निकाला है कि विवादित आराजी पर अपीलांट अतिक्रमी है तथा विवादित आराजी को हड़पना चाहते हैं जबकि अपील में वर्णित विवादित आराजी पर अपीलांट शांतिपूर्वक तरीके से अपने दादा के जीवनकाल से ही काबिज हैं । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है और अपीलांट की अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया ।

जवाब में पैरोकार सरकार अभिभाषक रेस्पो0 का बहस में कथन है कि विवादित आराजी सिवायचक भूमि है । वादीगण/अपीलांट की हैसियत अतिक्रमी की है तथा सरकारी भूमि को हड़पना चाहते हैं । वादीगण/अपीलांट को एल.आर.एक्ट के तहत भी तहसीलदार द्वारा नोटिस दिये जाकर उनके खिलाफ कार्यवाही की है । अभी हाल में नूर खां को नायब तहसीलदार ने तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है तथा वादी ने न्यायालय नायब तहसीलदार रामगढ़ में एक फर्जी स्टे इसी खसरा नम्बर बाबत पेश किया जिसकी न्यायिक कार्यवाही अलग से विचाराधीन है । वादी/अपीलांट को पूर्व से ही पता है कि विवादित आराजी सिवायचक है । इसलिए तहत न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित की है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2010 का अवलोकन किया ।

तहत न्यायालय के आदेश का विवेचन किया गया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि विवादित आराजी पर वादीगण के दांदा हीरा का कब्जा काश्त अरसे दराज से चला आ रहा था । जमाबन्दी सम्वत् 1998 में भी इस आराजी पर हीरा की काश्त दर्ज है और हीरा पुत्र अली खां मेव की विरासत से विवादित आराजी वादीगण/अपीलांट को मिली है । इस प्रकार विवादित आराजी पर हम वादीगण का अरसा करीब 50–60 साल से लगातार कब्जा चला आ रहा है और वक्त जारी होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से पूर्व भी इस आराजी पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है । 30 साल से अधिक का समय हो चुका है । इसलिए विवादित आराजी में वादीगण अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराना चाहते है ।

जवाब में पैरोकार सरकार ने बहस में कथन किया है कि विवादित आराजी सिवायचक भूमि है । वादीगण/अपीलांट की हैसियत अतिक्रमी की है तथा सरकारी भूमि को हड़पना चाहते हैं । वादीगण/अपीलांट को एल.आर.एक्ट के तहत भी तहसीलदार द्वारा नोटिस दिये जाकर उनके खिलाफ कार्यवाही की है । अभी हाल में नूर खां को नायब तहसीलदार ने तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है । इसलिए अपील अपीलांट ख़ारिज की जावें ।

हमने पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । पैरोकार सरकार के रेकार्ड अनुसार जवाब में बताया कि विवादित आराजी सिवायचक भूमि है जिस पर वादीगण/अपीलांट की हैसियत अतिक्रमी की है तथा सरकारी भूमि को अपीलांट हड़पना चाहते हैं जिसका कि उनको कोई अधिकार नहीं है । उक्त आराजी के बाबत ही अपीलांट को नायब तहसीलदार रामगढ़ द्वारा धारा 91 के तहत तीन

माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित भी किया जा चुका है । विवादित आराजी सम्वत् 2012 से ही सिवायचक आराजी है । वादीगण के पिता उक्त आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज रहे होगें । इनको कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । इसलिए तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हम किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाते हैं और अपीलांट की अपील काबिल खारिजी के है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दि0 12.03.2010 यथावत रखी जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/8/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर